न्यायालय उप जिलाधिकारी–शामली जिला मुजफ्फरनगर।

वाद संख्या 45/2008–09 धारा– 143 ज0वि0अधि0

मौजा– सिक्का परगना– शामली

डा0 एस0एन0देव चैरिटेबिल रजि0 ट्रस्ट बनाम सरकार

आदेश

प्रस्तुत वाद डा0 एस0एन0 देव चैरिटेबिल रजिस्टर्ड ट्रस्ट द्वारा चेयरमैन ट्रस्टी डा0 नरेन्द्र कुमार निवासी मानसिह फव्वारा चौक शामली परगना व तहसील शामली जिला मु0नगर के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार–शामली की संस्तुति सहित जाँच आख्यादिनांक 2–4–2009 के आधार पर पंजीकृत हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ग्राम सिक्का स्थित भूमि खाता संख्या 468 खसरा नम्बर 1024/1-रकबा 1.6706 है0 लगान 66–63 रूपये को धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की प्रार्थना की गई।

तहसीलदार–शामली ने अपनी संस्तुति सहित जाँच आख्या दिनांक 2–4–2009 से अवगत कराया है कि डा0 एस0एन0 देव चैरिटेबिल रजिस्टर्ड ट्रस्ट द्वारा चेयरमैन ट्रस्टी डा0 नरेन्द्र कुमार निवासी मानसिह फव्वारा चौक शामली परगना व तहसील शामली जिला मु0नगर का नाम भूमि खाता संख्या 468 खसरा नम्बर 1024/1 रकबा 1.6706 है0 लगान 66–63 रूपये स्थित ग्राम सिक्का पर संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। इस भूमि पर चारदीवारी का कार्य चल रहा है। उक्त भूमि वर्तमान में कृषि, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, पशुपालन, बागवानी के उपयोग में नहीं आ रही है तथा न ही भविष्य में कृषि, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, पशुपालन, बागवानी के उपयोग में आने कोई सम्भावना नहीं है। रिपोर्ट में नियम 135 की रिपोर्ट भी अंकित की गई। रिपोर्ट के अन्त में उक्त भूमि को धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार–शामली की रिपोर्ट से विदित है कि खाता संख्या 468 खसरा नम्बर 1024/1 रकबा 1.6706 है0 लगान 66–63 रूपये स्थित ग्राम सिक्का पर डा0 एस0एन0 देव चैरिटेबिल रजिस्टर्ड ट्रस्ट द्वारा चेयरमैन ट्रस्टी डा0 नरेन्द्र कुमार निवासी मानसिह फव्वारा चौक शामली परगना व तहसील शामली जिला मु0नगर का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। इस भूमि पर चारदीवारी का कार्य चल रहा है। उक्त भूमि वर्तमान में कृषि, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, पशुपालन, बागवानी के उपयोग में नहीं आ रही है तथा न ही भविष्य में कृषि, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, पशुपालन, बागवानी के उपयोग में आने कोई सम्भावना नहीं है। इस प्रकार उक्त भूमि को धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचना एवं तहसीलदार–शामली की संस्तुति सहित जाँच आख्या दिनांक 2–4–2009 के आधार पर वादी डा0 एस0एन0 देव चैरिटेबिल रजिस्टर्ड ट्रस्ट द्वारा चेयरमैन ट्रस्टी डा0 नरेन्द्र कुमार निवासी मानसिह फव्वारा चौक शामली की प्रश्नगत भूमि खाता संख्या 468 खसरा नम्बर 1024/1 रकबा 1.6706 है0 लगान 66–63 रूपये स्थित ग्राम सिक्का को धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार–शामली एवं उप निबन्धक तहसील शामली को तदनुसार अभिलेखों में अमलदरामद करने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। बाद पूर्ति पत्रावली दाखिल दफतर की जावे।

दिनांक: 3-6–2009

(घनश्याम सिंह)
उप जिलाधिकारी–शामली।

लेखक कर्ता ...
जाँच कर्ता ...
प्रार्थना पत्र प्राप्त न: ... 5/6/09
नकल जारी करने का दिनांक 6/6/09
शुल्क ... 7.00/-

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार/रीडर

Dr. S.N. Dev Charitable Trust
Chairman/Trustee